न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–670/2017

1. जोधी पत्नी लक्ष्मण
2. लक्ष्मण प्रसाद पुत्र नानू

समस्त जाति जाट, निवासी बधाल, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर।

–अपीलांटस–

बनाम

1. रघुनाथ प्रसाद पुत्र कानाराम
2. सोहनी पत्नी रघुनाथ प्रसाद
3. भगवाना पुत्र गुल्लाराम
4. बन्ना पुत्र भगवाना
5. मधु पत्नी देबूराम
6. मनीष पुत्र देबूराम नाबालिग जरिये प्राकृतिक सरंक्षिका माता मधू पत्नी देबूराम
7. संदीप देबूराम नाबालिग जरिये प्राकृतिक सरंक्षिका माता मधू पत्नी देबूराम
8. श्यामलाल पुत्र ईशर

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम बधाल, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर।
10. बैंक जे.सी.सी.बी., शाखा रेनवाल, जरिये शाखा प्रबन्धक।

———रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादगण

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1–श्री एन0 के0 यादव अपीलांट की ओर से।

2–श्री राम सिंह रेस्पोडेंट सख्या–1 की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :–10–11–2017

1– यह प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर सांभर लेक के निर्णय व डिक्री दिनांक 14–0

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

7–2017 (वाद संख्या 50/2017) बउनवानी रघुनाथ व अन्य बनाम जोधी व अन्य के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने एक वाद बाबत् खातेदारी घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा एवं रिकॉर्ड संशोधन अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वाके ग्राम बधाल तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर में स्थित हाल आराजी खसरा नम्बर जिसका वर्णन वाद पत्र की मद संख्या 1 (क) से 1 (च) तक किया गया है। वाद पत्र की मद संख्या 2 (क) लगायत 2 (च) में कौनसा खसरा नम्बर किस व्यक्ति के नाम राजस्व भू–अभिलेखों में दर्ज है का वर्णित किया गया है। वाद पत्र की मद संख्या 4 में वादीगण ने उप मद 4 (क) लगायत 4 (ज) में प्रत्येक वादीगण एवं प्रतिवादीगण का मौका कब्जानुसार तकासमा मौखिक होने के कथनात दर्ज करते हुए वाद पत्र में अपने अभिवचन दर्ज किये गये तथा अनुसार वाद पत्र की मद संख्या 4 की उपमद क लगायत ज के अनुसार खातेदारी घोषणा किये जाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय से अनुतोष चाहा गया। वाद कारण दिनांक 01–05–2017 को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 द्वारा बंटवारा राजस्व रिकॉर्ड में नही करने से तथा रिकॉर्ड के मुताबिक कब्जा करने एवं बेचान करने के वाक्यात से उत्पन्न होना कथन किया गया। वादीगण द्वारा वाद पत्र की मद संख्या 4 की उप मद संख्या क लगायत ज के अनुसार मौके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में पृथक–पृथक खातेदारी घोषणा किये जाने के अनुतोष के साथ राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में खातेदारी दर्ज कर रिकॉर्ड में संशोधन किये जाने का अनुतोष अधीनस्थ न्यायालय से चाहा गया तथा प्रतिवादीगण को उनके कब्जें काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का अनुतोष भी चाहा गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–07–2017 द्वारा वादीगण का वाद डिक्री कर दिया गया जिससे व्यथित होकर यह अपील अपीलान्ट्स/प्रतिवादी सख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्टस द्वारा अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यो व कानून के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।अपीलाधीन निर्णय विधिक प्रकिया अपनाये बिना पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

के समक्ष अपीलान्ट दिनांक 28—06—2017 को उपस्थित हुए तथा जवाब हेतु समय चाहा गया प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 06—07—2017 नियत की गई। उक्त दिनांक के पश्चात पत्रावली को कभी भी न्यायालय की कोज लिस्ट में सूचीबद्ध नहीं किया गया तथा पत्रावली में क्या कार्यवाही की जा रही है इस बाबत अपीलार्थीगण तथा उनके अभिभाषक को कोई सुचना नहीं दी गई। अपीलान्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 14—07—2017 को अपनी विशिष्ट अस्वीकृती का वादोत्तर प्रस्तुत किया गया उसके पश्चात पत्रावली में क्या कार्यवाही की गई इस बाबत न तो अपीलान्ट्स को कोई जानकारी प्रदान की गई तथा ना ही पत्रावली में होने वाली किसी प्रक्रिया बाबत कोई सूचना ही दी गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा संपूर्ण विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए अपनी मनमर्जी से दिनांक 06—07—2017 की फर्द अहकाम पर प्रतिवादी सख्या 1 व 2 द्वारा वादोत्तर प्रस्तुत करने की टिप्पणी दर्ज कर दी गई जब कि अपीलान्ट्स द्वारा अपना वादोत्तर दिनांक 14—07—2017 को प्रस्तुत किया गया था। जो कि उसके साथ प्रस्तुत शपथ—पत्र जो कि नोटेरी पब्लिक द्वारा दिनांक 14—07—2017 को प्रमाणित किया गया है, से स्पष्ट है।उक्त तथ्य से यह बखूबी साबित है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण को अवैध लाभ प्रदान करने के लिहाज से तथा विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग कर दिनांक 06—07—2017 की फर्द अहकाम लिखी गई हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06—07—2017 को ही वाद—पत्र की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए पत्रावली को वास्ते आदेश दिनांक 14—07—2017 को नियत कर दी गई तथा उक्त दिनांक को वादी का वाद डिक्री भी कर दिया।जबकि विधि अनुसार सर्वप्रथम पक्षकारान का हिस्सा घोषित करते हुए प्राथमिक डिक्री पारित की जानी चाहिए थी। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार कि0 रेनवाल के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 05—07—2017 के अवलोकन से बखूबी साबित है कि स्वयं तहसीलदार ने उक्त पत्र के माध्यम से अधिनस्थ न्यायालय को निवेदन किया है कि "मुताबिक आदेश लोक अदालत कैम्प लुनियावास दिनांक 12—06—2017 की पालना में उपरोक्त किता 12 ग्राम बधाल के नक्शे कुर्रेजात रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार करने पर आज ही श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रस्तुत हैं",इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट नहीं बनाई गई है तथा न ही पक्षकारों को सूचित किया है तहसीलदार द्वारा मात्र काउन्टर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

हस्ताक्षर किये गये है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06–07–2017 को अंतिम बहस करने के कथन फर्द अहकाम पर तकमील करना तथा दिनांक 14–07–2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प सांभर लेक में लोक अदालत की भावना से पत्रावली का अवलोकन करना तथा बहस पर मनन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना उल्लेख किया हैं जो अवैध हैं। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट्स ने वाद अधिन आराजी खसरा नम्बर 487/7 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा को जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र घीसा पुत्र रामू से क्रय किये जाने से कथनात अपने वादोत्तर में दर्ज किये थें तथा उक्त आराजीयात बैंक के रहन रखी हुई थी, जिसके बाबत अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 06–07–2017 की फर्द अहकाम में वकील वादी की स्वीकृती दर्ज करते हुए माना है कि अपीलान्ट्स की क्रय शुदा भूमि होने के कारण इस भूमि के सम्बन्ध में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है फिर भी अपीलाधीन आदेश द्वारा मिन खसरा नम्बर 487/7 रकबा 11 बिस्वा 17 बिस्वाशी आशिंक रेस्पो0 सख्या 03 लगायत 08 के नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये गये है। विधि की मंशा के अनुसार न्यायालय को विधिक प्रकिया अपनाते हुऐ तनकीयात कायम की जाकर पक्षकारान के मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य ग्रहण कर प्रकरण का निस्तारण करना चाहिए था।परन्तु न्यायालय द्वारा ऐसा न कर विधिक प्रकिया का दुरूपयोग किया गया है।अपीलाधीन निर्णय आदेश 20 जाप्ता दीवानी तथा उनपर प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अपीलान्टस द्वारा उपुर्यक्त कथन कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 14–07–2017 को निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो0 सख्या 01 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा रेस्पो0 सख्या 2 लगायत 10 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्टस द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा कथन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा बाबत घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ती का प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय द्वारा तीन पेशियों में ही दावे का निस्तारण कर दिया गया। अपीलान्ट्स द्वारा विशिष्ट अस्वीकृती (स्पेशल डिनायल) दर्ज करते हुए जवाब

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

दावा प्रस्तुत किया गया था। फिर भी प्रकरण में कोई तनकीयात कायम नहीं की गई। जवाब दिनांक 14–07–2017 को प्रस्तुत किया गया था जिसे अवैध रूप से दिनांक 06–07–2017 को प्रस्तुत होना दर्शा दिया गया। पत्रावली में दिनांक 12–06–2017 की कोई आदेशिका नहीं हैं फिर भी तहसीलदार द्वारा उक्त दिनांक के आदेश का हवाला देकर कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 05–07–2017 प्रेषित की गई है। खसरा नम्बर 487/7 को आदेश के विपरीत विभाजित कर दिया गया है। प्रकरण में कोई प्राथमिक डिक्री नहीं पारित की गई है। वादग्रस्त भूमि पर राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही समस्त पक्षकार काबिज काश्त हैं जिसे बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये तथा विभाजन का अनुतोष चाहे बिना विभाजन की डिक्री पारीत की गई है जो कि अवैध हैं तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जावे।

6– अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा बहस का जवाब देते हुए कथन किया गया कि दावा घोषणा व रिकार्ड दुरूस्त का है तथा प्रकरण में पक्षकारों की उचित तामील की गई है। उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर लोक अदालत की भावना से अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है अतः अपील खारित की जावे।

7– उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवम उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 06–07–2017 में यह उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी सख्या 01व 02 की ओर से जवाब पेश किया जो शामिल फाईल किया गया। प्रतिवादी सख्या 01 व 02 के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रतिवादी सख्या 01 व 02 ने दौराने बहस जाहिर किया कि प्रतिवादी सख्या 01 व 02 की स्वयं की खरीद शुदा भूमि है। वकील वादी द्वारा दौराने बहस कहा कि प्रतिवादी सख्या 01 व 02 की क्रय शुदा भूमि होने के कारण इनसे कोई रिलीफ नहीं चाहिए शेष सभी प्रतिवादीगण की पूर्व में ही एक्सपार्टी हो चुकी है अतः लोक अदालत की भावना से आदेश निर्णय हेतु पत्रावली दिनांक 14–07–2017 को पेश हो। दिनांक 14–07–2017 को अपीलाधीन निर्णय पारित कर न्यायालय द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के पश्चात वादीगण का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

न्यायोचित समझता हूँ। उपर्युक्त विवेचन कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत की भावना का उल्लेख करते हुए वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाना उल्लेख किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण सख्या 01 व 02 द्वारा प्रकरण में जो जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है वह जवाब दावा दिनांक 14–07–2017 को तैयार करवाया जाना तथा उसी दिवस को नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित करवाया जाना स्पष्ट हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त जवाब दावे को दिनांक 06–07–2017 को प्रस्तुत किया जाना उल्लेख किया गया है जो सन्देहास्पद है। न्यायालय द्वारा दिनांक 06–07–2017 को ही प्रतिवादी सख्यां 1 व 2 की बहस सुना जाना अंकित किया हैं। इसी आदेशिका में यह भी अंकित किया गया है कि वादीगण द्वारा प्रतिवादी सख्यां 01 व 02 की आराजी खरीदशुदा होने के कारण उनसे किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है। इसके विपरीत जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–07–2017 पारित किया गया है उसमें प्रतिवादी सख्या 1 व 2 की आराजी को भी विभाजित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा बाबत् घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती का प्रस्तुत किया गया है। वाद पत्र में विभाजन संबंधी कोई अनुतोष नहीं चाहा जाकर कब्जे काश्त के अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा इस आशय का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत खातेदार घोषित किये जाने योग्य हो। अधिनियम द्वारा खातेदारी अधिकार मात्र धारा 15 एवं 19 के तहत प्रदान किये जा सकते हैं। जबकि वादीगण द्वारा इस संबंध में न तो कोई तथ्य अपने वाद पत्र में अंकित किया है तथा न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने वाद को सिद्ध करने का प्रयास किया है कि वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रारम्भ से ही वाद पत्र में वर्णित कब्जा काश्त के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर काबिज रहें हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी इन तथ्यों का कोई विवेचन नहीं किया गया है तथा तहसीलदार से कुरेजात प्रस्ताव प्राप्त कर उसी के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री कर दिया गया है जिसका कोई विधिक आधार उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि वादीगण द्वारा अपीलान्टस प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहे जाने बाबत् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

आदेशिका में अंकित किया है परन्तु निर्णय में अपीलान्टस की खातेदारी में भी बिना किसी आधार के परिवर्तन कर दिया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री बिना किसी विधिक आधार के फौरी तौर पर तथा कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं है। अपीलान्टस की अपील पुख्ता आधारों पर होने के कारण स्वीकार योग्य है।

8— अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 14—07—2017 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9— निर्णय आज दिनांक 10—11—2017 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर